प्रेषक

संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार नई दिल्ली

पत्रांक / /2016–17 दिनांक 25-6-2016

विषय : एम.बी. कॉन्वेन्ट स्कूल एण्ड कालेज रसूलाबाद उर्फ कोइलहा, पूरामूफ्ती जी.टी. रोड, कौशाम्बी को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ के पत्र संख्या 1916/15–7–09–1(209)/2007 दिनांक 14.07.2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति की संस्तुति के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधीन आपत्ति नहीं है।

1 विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय पूर्व में माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेक्रेट्री एजूकेशन नई दिल्ली /कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सार्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता होने की तिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र एवं पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

10. सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।

11. संस्था द्वारा सोसाइटी के वाईलाज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

12 सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया जायेगा।

13. छात्र/छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जिन मदों में शुल्क अनुमन्य है।

14. शिक्षण कक्ष/प्रयोगशाला /पुस्तकालय/कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जायेंगे ।

15. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार बाहुल्य नहीं रखा जायेगा ।

16. विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि तथा पनधट, गोचर, तालाब, खलिहान का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता के पूर्व संस्था में अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखें जायें तथा संस्था के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से कम वेतन दिया जा रहा हो उसे पूर्ण किया जाये।

G:\Noc (09-05-16)\NOC(25-06-16)\NOC Letter Issue for School.doc

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है; अथवा पालन करने मे किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(महेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पृष्ठांकन सं. /3561-67 /2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त इलाहाबाद मण्डल–इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी इलाहाबाद।
3. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश,18 पार्क रोड लखनऊ।
4. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. एम.वी. कॉन्वेन्ट स्कूल एण्ड कालेज रसूलाबाद उर्फ कोइलहा, पूरामूफ़्ती जी.टी. रोड, कौशाम्बी।
6. गार्ड फाईल।

(महेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद